फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मनोहरसिंह बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 93/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 20.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा संख्या 831/499 प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम हिस्से से दर्ज है तथा खसरा संख्या 701/498 प्रार्थी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/7 हिस्से से तथा प्रार्थी संख्या 3 के नाम 4/7 हिस्से से दर्ज है इसी प्रकार खसरा संख्या 702/499 प्रार्थी संख्या 1, 2 के नाम सयुक्त रूप से 3/7 हिस्से एवं प्रार्थी संख्या 4 के नाम 4/7 हिस्से से दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार नवीन बंदोबस्त के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि को नवीन राजस्व रेकर्ड में विलोपित कर दिया जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार निराबाध रूप से कब्जा चला आ रहा होकर काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि को साबिक जमाबंदी के मुकाबले नवीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर उसी अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम माण्डकला की गत जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 160 के खसरा 831/499 रकबा 2–05 बिघा मनोहर सिंह, हरिसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत, खाता संख्या 128 के खसरा न. 702/499 रकबा 7–00 बिघा फतह सिंह पिता गुलाबसिंह 4/7, मनोहर सिंह हरिसिंह पिता गुलाबसिंह 3/7 राजपुत एवं खाता संख्या 13 के खसरा न. 701/498 रकबा 7–00 बिघा उदयसिंह पिता गुलाब सिंह 4/7, मनोहर सिंह, हरिसिंह पिता गुलाब सिंह 3/7 हि.ब. राजपुत सा. रणिया खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड थी। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि मौके पर प्रार्थी द्वारा बताई गई अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व ग्राम माण्डकला के बाद सेटलमेंट से प्राप्त नवीन नक्शों से देखने पर उक्त भूमि राजस्व ग्राम माण्डकला के नक्शो में दर्ज नहीं पाई गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि मौके पर बताई गई भूमि का राजस्व ग्राम माण्डकला की नवीन जमाबंदी एवं नक्शों में किसी प्रकार का रेकर्ड दर्ज नहीं है एवं उक्त भूमि का इन्द्राज ग्राम माण्डकला के नवीन सेटलमेंट के नक्शों में नहीं है। यह कि मौके पर बताई गई भूमि ग्राम माण्डकला के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

सीमावर्ती ग्राम रणिया के नक्शो में दर्ज होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक जमाबंदी 2069–72 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड थी साथ ही तहसील भीण्डर द्वारा बताया कि मौके पर बताई गई भूमि का राजस्व ग्राम माण्डकला की जमाबंदी एवं नक्शों में किसी प्रकार का रेकर्ड दर्ज नहीं है एवं उक्त भूमि का इन्द्र ग्राम माण्डकला के नवीन सेटलमेंट के नक्शों में नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्त धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें सेटलमेंट दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों को व तरमीम को सुधारे जाने का प्रावधान है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नये नम्बर दर्ज नहीं किये गये है जो एक साक्ष्य का विषय है जिसमें पत्रावली को उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर ही निस्तारित किया जाता सकता है जिससे पत्रावली को प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी के वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)